निर्णय बईजलास श्री हरि मोहन मीना आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0नं0 56 / अपील / 20 तारीख दायरा 12.10.2020

उनवान अपील

रामलाल आयु 55 वर्ष आ0 मांगीलाल जाति दांगी निवासी कचराखेड़ी तहसील रायपुर जिला झालावाड़ (अपीलान्ट)

बनाम

रामलाल आयु 55 वर्ष आ0 भंवरलाल जाति दांगी निवासी कचराखेड़ी तहसील रायपुर जिला झालावाड़ (रेस्पो0)

अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार पिड़ावा दिनांक 24.08.2020
मिसल नं0 06 / 2020

उपस्थितः– श्री पुरीलाल राठौर, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री अमितोष आचार्य,अभिभाषक रेस्पो0

–: निर्णय :– दिनांकः 23/11/2021

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जर्ये अभिभाषक तहसीलदार पिड़ावा द्वारा मिसल न0 06 / 2020 निर्णय दिनांक 24.08.2020 में दिये गये निर्णय से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है। अपील मीमों में अंकन किया है कि तहसीलदार पिड़ावा द्वारा अपीलार्थी की आराजी खसरा नं0 403,404 व 405 की मध्य मेड पर पर होकर रेस्पोडेन्ट को उसकी आराजी ख0न0 408 पर आने जाने हेतु अस्थाई रास्ता दिया गया है जबकि किसी भी राजस्व अभिलेख में रास्ता दर्ज नही है। प्रत्यर्थी की आराजी ख0न0 408 पर आने जाने के वैकल्पिक मार्ग के होते भी दुर्भावनापूर्वक अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन किया गया । ग्राम कचराखेड़ी की तहसील रायपुर है इस कारण तहसीलदार पिड़ावा को संज्ञान लेकर निर्णित नही करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.06.2020 को एस एच ओ थाना रायपुर,पटवारी व ग्राम पंचायत फतेहगढ के नाम आलेखित आदेश वर्णित " S.H.O थाना रायपुर,पटवारी व ग्राम पंचायत फतेहगढ पूर्ववर्ती रास्ता खुलासा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें" इसके उपरान्त ग्राम पंचायत फतेहगढ के निर्णय की प्रति पर ही राजस्व के नाम आलेखित आदेश दिनांक 29.07.2020 को जारी कि रामलाल आ0 मांगीलाल रास्ता अवरूद्ध करने वाले को तलब करें जबकि प्रकरण 21.07.2020 को दर्ज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी के कथनों को देखा जावे तो पता चलता है कि प्रार्थी किस ग्राम की किस आराजी पर आने जाने के लिये रास्ता चाह रहा है कोई विवरण अंकित नही है। निर्णय अपास्त कर अपील स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट की और से अभिभाषक श्री अमितोष आचार्य उपस्थित हुए।

बहस उभय पक्ष सुनी । अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील मेंमो की पुष्टी करते हुए व्यक्त किया कि तहसीलदार पिड़ावा द्वारा अपीलार्थी की आराजी खसरा नं0 403,404 व 405 की मध्य मेड़ पर पर होकर रेस्पोडेन्ट को उसकी आराजी ख0न0 408 पर आने जाने हेतु अस्थाई रास्ता दिया गया है जबकि किसी भी राजस्व अभिलेख में रास्ता दर्ज नही है। प्रत्यर्थी की आराजी ख0न0 408 पर आने जाने के वैकल्पिक मार्ग के होते भी दुर्भावनापूर्वक अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन किया गया । ग्राम कचराखेड़ी की तहसील रायपुर है इस कारण तहसीलदार पिड़ावा को संज्ञान लेकर निर्णित नही करना चाहिए था। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 251 में अधिसूचना दिनांक 04.09.1982 के अनुसार सर्व प्रथम 45 दिन में ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन किये जाने के प्रावधान है तत्पश्चात तहसीलदार के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत होना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.06.2020 को एस एच ओ थाना रायपुर,पटवारी व ग्राम पंचायत फतेहगढ के नाम आलेखित आदेश पूर्ववर्ती रास्ता खुलासा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु जारी किया गया था, इसके उपरान्त ग्राम पंचायत फतेहगढ के निर्णय की प्रति पर ही राजस्व के नाम आलेखित आदेश दिनांक 29.07.2020 को जारी कि रामलाल आ0 मांगीलाल रास्ता अवरूद्ध

जिला कलक्टर
झालावाड़

करने वाले को तलब करें जबकि प्रकरण 21.07.2020 को दर्ज किया गया है। अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

इस पर अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा व्यक्त किया कि उनके पक्षकार द्वारा ग्राम पंचायत में दिनांक 19.06.2020 को प्रा0पत्र दिया गया था जिस पर दिनांक 22.06.2020 को मौका रिपोर्ट बनाई गई थी ख0न0 404 के तीन खातेदार रास्ता देने को राजी हैं। रेस्पो0 का गत तीन वर्षों से उसकी आराजी पर आन–जाने का रास्ता रोका गया था जो बाद जांच खुलासा कराया गया है। जिस वेकल्पिक रास्ते बाबत अभिभाषक अपीलान्ट कथन करते हैं वंहा नाला है जिससे रास्ता बहुत लम्बा होता है। अभिभाषक अपीलान्ट को पंचायत में प्रा0पत्र प्रस्तुत कर 45 दिवस में निस्तारण बाबत कथन अधीनस्थ न्यायालय में उठाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित है।

इस पर पुनः अभिभाषक अपीलान्ट ने कथन किया कि उनके पक्षकार के हित प्रभावित हैं व कानूनी बिन्दु किसी भी स्तर पर उठाया जा सकता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस उभय पक्ष पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न प्रा0पत्र जो रेस्पो0 द्वारा तहसीदलदार पिडावा को दिनांक 19.06.2020 को रास्ते के खुलासे बाबत दिया गया था जिस पर तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का को रेकार्ड व मौके अनुसार जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित करने पर पटवारी,सरपंच वार्ड पंच व ग्राम वासियान द्वारा संयुक्त जांच रिपार्ट दिनांक 22.06.2020 को तहसीलदार पिडावा को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी रामलाल आ0 भंवरलाल अप्रार्थी रामलाल आ0 मांगीलाल की आराजी में से होकर अपनी आराजी पर जाता था पिछले तीन वर्ष से अप्रार्थी ने तारफेंसिग कर रास्ता रोक दिया है, राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज नही है अंकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रा0पत्र को दिनांक 21.07.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद सुनवाई पक्षकारान के बयानात लिये जाकर व इससे पूर्व पटवारी,सरपंच,वार्ड पंच व ग्राम वासियान की उपस्थिति में जांच रिपोर्ट तलब कर प्रार्थी रामलाल आ0 भंवर लाल को उसकी आराजी पर आने–जाने हेतु रास्ता बाबत जो आदेश पारित किया गया है । अभिभाषक अपीलान्ट्स द्वारा दौराने बहस यह भी व्यक्त किया गया है कि धारा 251 आरटी एक्ट में रास्ते सम्बन्धि प्रार्थना पत्र सुनने का अधिकार ग्राम पंचायत को है एंव ग्राम पंचायत 45 दिन में प्रार्थना पत्र का निस्तारण नही करती है तो उसके बाद तहसीलदार सुनवाई कर सकते हैं । इस बाबत स्पष्ट किया जाना उचित है कि Notification No.F.5(21)Rev./GR.IV/80/34 dt. 4-9-1982 के द्वारा धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की शक्ति प्रथम 45 दिन तक सम्बन्धित ग्राम पंचायत को तथा तत्पश्चात सम्बन्धित तहसीलदार को प्रदत्त की गई थी। उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार द्वारा Notification No.F.3(2)Rev. IV /2003/pt./18,S.O. 122 dt. 6-7-2009 के द्वारा Rescined कर दिया गया है जिसका प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 14.07.2009 को किया जा चुका है व उक्त प्रकाशन के पश्चात Notification No.F.5(21)Rev./GR.IV/80/34 dt. 4-9-1982 अस्तित्व में नही होने से ग्राम पंचायत को 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की शक्तियां प्रदत्त नही है। धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि पूर्व में वास्तविक रूप से उपयोग में आ रहे (way in actual enjoyment) रास्ते को बन्द कर देने अथवा व्यवधान डालने पर ऐसे व्यवधान हटाने तथा पूर्व में प्रचलित रास्ते को खुलवाने के सम्बन्ध में ही तहसीलदार को धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में शक्तियां प्राप्त हैं। उपरोक्त विवेचन से तहसीलदार पिड़ावा द्वारा बाद सुनवाई मौका निरीक्षण करवाया जाकर निर्णय पारित किया गया है जो विधि अनुरूप प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/11/2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर
झालावाड़